

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांकः प. 2(13)पपा—2000 / पार्ट ॥

जयपुर, दिनांक 27.12.2004

विषयः— निजी क्षेत्र में संचालित पशुधन सहायक प्रशिक्षण विद्यालयों की स्वीकृति बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2003 में कुल 44 पशुधन संहायक प्रशिक्षण विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई थी। उक्त प्रशिक्षण विद्यालयों की काउन्सिलिंग पूर्ण होते ही श्री अमर ज्ञान विद्यालय समिति, बीकानेर द्वारा मा० राज० उच्च न्यायालय, जयपुर में याचिका संख्या 5908/2003 दायर की गई, जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य सचिव, राज० की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर निर्देश दिये गये कि याची के प्रतिवेदन पर कमेटी सुनवाई कर जो जो विद्यालय राज्य सरकार के माप दण्ड पूर्ण करते हों, उनको प्रशिक्षण विद्यालय प्रारम्भ करने की अनुमति दी जावें ।

मुख्य सचिव, राजस्थान की अध्यक्षता वाली समिति ने सम्बन्धित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित कर इन संस्थाओं की पुनः निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर जो संस्थाएं विभागीय माप दण्डों के अनुरूप पायी जावें, को प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति देने की अभिशंषा की ।

राज्य सरकार को जिला स्तरीय समितियों से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदनों का परीक्षण करने उपरान्त राज्य सरकार एतद्वारा निम्नलिखित संस्थाओं को पशुधन सहायक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान करती है :—


क्र. सं.	जिला	संस्था का नाम	स्थान
1	हनुमानगढ़	स्वामी शिक्षा समिति, हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
2	—	सरदार वल्लभ भाई पटेल, शिक्षण संस्थान, भादरा	भादरा
3	झौगरपुर	एम.बी.हेल्थ एंड हाईजीन नसिंग शिक्षण संस्थान, झौगरपुर	झौगरपुर
4	झुन्झनू	रुरल एजूकेशन डिवलपमेंट सोसायटी, चिड़ावा	चिड़ावा
5	झुन्झनू	आदर्श पिलानी एजूकेशन ट्रस्ट, पिलानी	पिलानी
6	करौली	राजीव गांधी सर्वोदय शिक्षण संस्थान, हिण्डोनसिटी	हिण्डोनसिटी

7	कोटा	महर्षि दाधीच विद्यानिकेतन कोटा	कोटा
8	श्रीगंगानगर	जे.आर.टांटिया चैरिटेबल ट्रस्ट, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
9	श्रीगंगानगर	श्री मनोहर बाल मंदिर समिति, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
10	सीकर	शेखावाटी एजूकेशन सोशल डवलपमेंट इंस्टीट्यूट, सीकर	सीकर
11	सीकर	एलाइन्स शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, सीकर	सीकर
12	बारां	सहारा शिक्षा समिति, कोटा	बारां
13	बीकानेर	सहेली समिति, बीकानेर	बीकानेर
14	बीकानेर	श्री महाजनी विद्यालय समिति बीकानेर	नाल (बीकानेर)
15	टोंक	देवनारायण विकास संस्थान, टोंक	टोंक
16	जौधपुर	मानव कल्याण विकास संस्थान, जौधपुर	जौधपुर
17	जौधपुर	श्री लाल बहादुर शास्त्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, जौधपुर	भावी(जौधपुर)
18	जौधपुर	मयूराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान, मंडोर, जौधपुर	जौधपुर
19	जयपुर	संजय शिक्षा समिति जयपुर	जयपुर
20	जयपुर	ज्योतिबाफुले सोशियल बेलफेयर सोसायटी चौमूँ	जयपुर
21	जयपुर	गरीबनवाज सेवा समिति अलवर मुख्यालय शाहपुरा जयपुर	जयपुर
22	जयपुर	भारती बाल मंदिर समिति आमेर रोड जयपुर	जयपुर
23	अलवर	चौधरी चरणसिंह मेडिकल शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, अलवर	अलवर
24	अलवर	दीनबंधु शिक्षण संस्थान, खेडली	अलवर

८
 (एम० एल० जागिङ्ग)
 शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय पशुपालन मंत्री, राजस्थान
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान
5. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान
6. अध्यक्ष / सचिव, सम्बन्धित संस्था जै.आर.टांटिया चैरिटेबल ट्रस्ट,
श्रीगंगानगर।
7. रक्षित पत्रावली ।


 शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक :- प. २॥३॥पपा/२०००

जयपुर, दिनांक :- २९. ७. २००३

निटेशक,
पशुपालन विभाग,
राज०, जयपुर ।

विषय :- चूरु, श्रीगंगानगर, बीकानेर, तीकर, जयपुर, जोधपुर,
हनुमानगढ, बूटी, बारा, झालावाड, अलवर जिलों
में निजी क्षेत्र के पशुधन तहायक प्रशिक्षण विधालय
स्थापित किये जाने बाबत ।

महोदय,

आपके द्वारा शासन को प्रैषित प्रस्तावों पर विचार करने के
पश्चात् निम्नांकित स्थानों को उनके नामों के सम्मुख अंकित स्थानों पर निजी
क्षेत्र में पशुधन तहायक प्रशिक्षण विधालय स्थापित किये जाने की स्वीकृति एवं
द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.नं. स्थान का नाम

स्थान एवं जिला जहाँ
पशुधन तहायक प्रशिक्षण
विधालय स्थापित किया
जावेगा ।

१.	२.	३.
१. स्वामी विवेकानन्द प्राइनिंग स्कूल, स्थान-ताढ़ीलपुर । चूरु ।		ताढ़ीलपुर । चूरु ।
२. जे.आर.टाँटिया ऐरिटेल ट्रस्ट, टाँटिया हास्पिटल, श्रीगंगानगर		श्रीगंगानगर । श्रीगंगानगर ।
३. श्री महाजनी विधालय समिति, बीकानेर		नाल । बीकानेर ।
४. शेखावाटी सजुकेशन संड तोल्यल डबलषमेंट इंस्टीट्यूट, नवलगढ रोड, तीकर		तीकर । तीकर ।
५. जयोतिबा फूले तोल्यल वैलफ्रेयर तोलायटी, अजमेर रोड, जयपुर ।		चौमू । जयपुर ।
६. शिवम् एवं ग्रामीण विकास समिति, जयपुर		जोडनेर । जयपुर ।
७. श्री लालखादूर शास्त्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर		जोधपुर । जोधपुर ।
८. तरटार वल्लभ भाई पटेल शिक्षण संस्थान, भादरा, हनुमानगढ ।		भादरा । हनुमानगढ ।
९. तुहित जनकल्याण समिति, विज्ञान नगर, कौटा ।		बूटी । बूटी ।

1.	2.	3.
10.	तहारा शिक्षा तमिति, विज्ञान नगर, कोटा	बारा० बारा०
11.	तैकल्प तैवा तमिति, शालावाड़	शालावाड़ शालावाड़।
12.	लिबटी० मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च तौसायटी०, जयपुर ।	जयपुर जयपुर
13.	तती जावदे पॉब्लिक हैल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट, भिवानी० हरियाणा।	जनकपुरा निमराना अलवर।
14.	महात्मा ज्योतिश्वर मुले शिक्षण तंस्थान, न्यू तांगानेर रोड, जयपुर ।	जयपुर जयपुर
15.	गरीब नवाज तैवा तमिति, अलवर	शाहपुरा जयपुर
16.	सलाइन्स शिक्षण सर्व अनुत्थान तंस्थान, तीकर ।	तीकर तीकर
17.	तुरेन्द्र बाल भारती तमिति, जयपुर	जयपुर जयपुर
18.	मनोहर बाल मन्दिर तमिति, 5-डी ब्लॉक, श्रीगंगानगर ।	श्रीगंगानगर श्रीगंगानगर

उपरोक्त तंस्थाओं को राज्य सरकार/ निदेशक, पश्चिमालन विभाग, द्वारा निधारित मानदण्डों, नियमों की पालना के अतिरिक्त निम्नांकित शर्तों की पालना की जानी आवश्यक होगी :-

III. तंस्था- निदेशक, पश्चिमालन विभाग |निदेशालय। सर्व राज्य सरकार द्वारा निधारित मानदण्डों के अनुसार तकनीकी तंस्थाधारों ते अपने तंस्थान को तत्र प्रारंभ करने ते पूर्व आवश्यक रूप ते तुतजित करेंगी । मानदण्डों की अवहेलना की स्थिति में तंस्था की मान्यता समाप्त की जा सकेगी । फिर भी ऐसा कोई निषेध लिये जाने ते पूर्व निदेशक, पश्चिमालन विभाग, तंस्थान को अपनी कमियों में सुधार का अवतर प्रदान करेंगे ।

- 12। छात्रों /छात्राओं की शैक्षणिक योग्यता, पाठ्यक्रम सर्व परीक्षा पद्धति राज्य सरकार द्वारा निधारित योग्यता नियमों के अनुसार होगी । इस संबंध में कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा ।
- 13। माननीय तवांच्च न्यायालय द्वारा निजी तंस्थाओं के संबंध में दिये गये निषेध अनुसार प्रैवेश सर्व शुल्क का निधारण किया जावेगा ।
- 14। तंस्था को किसी भी प्रकार का अनुदान/ अंगदान राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया जावेगा ।
- 15। तंस्था और प्रशिक्षणाधिकारों के संबंध में उत्तरदायित्वों के लिए तंस्था जिम्मेवार होगी ।

- 16। राज्य तरकार/ निदेशक, पशुपालन विभाग, राज. जयपुर अध्या उनके द्वारा नामित व्यक्ति तंस्था का किसी भी सम्बन्ध निरीक्षण करने हेतु अधिकृत रहेंगे ।
- 17। निरीक्षण प्रतिवेदन में तंस्था के तंबंध में उठाये गये बिन्दुओं/कमियों की पालना पूर्ति तंस्था द्वारा तात दिवस में पूर्ण की जानी आवश्यक होगी ।
- 18। पर्याय वधों तक तंस्था में प्रशिक्षणार्थीयों को प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु निकटतम पशु विक्रिता तंस्था सर्व विभाग के कृषि फार्मों को उपयोग में लिया जावेगा । इस हेतु यदि कोई व्यय होगा तो वह तंस्था द्वारा वहन किया जावेगा । पर्याय वधों वश्चात् तंस्था को अपनी स्वर्य की उपरोक्त तुविधायें जुटानी आवश्यक होगी ।
- 19। तंस्था को पचात प्रशिक्षणार्थीयों/छात्रों/छात्राओं की भर्ती करने की अनुमति दी जाती है ।
- 20। तंस्था द्वारा शासन को प्रस्तुत प्रस्ताव में रही कमियों सर्व निरीक्षण दल द्वारा धिन्हित की गई कमियों के तंबंध में तंस्था प्रधान द्वारा अध्या तंस्था के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा व्यक्तिगत रूप से इस विभाग में उपस्थित होकर, जानकारी प्राप्त कर तात दिवस में पूर्ति करनी होगी ।
- 21। उपरोक्त तंस्थाओं को पंजीयन गुल्क की राशि स्थय 2.00 लाख । अक्षरे दो लाख । का बैंकर चैक/ड्राफ्ट पत्र प्राप्ति की तिथि से 30 दिवस की कालावधि में निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर के पहाँ जमा करानी होगी ।
- 22। क्र. नं. 2 14 से 17 पर अंकित तंस्थाएँ आवश्यक अहैताएँ सर्व योग्यताएँ पूर्ण नहीं करती हैं । इन्हें आवश्यक अहैता सर्व योग्यताएँ पूर्ण करने की शहं पर स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

भवदीय,

।तन्युकाश बतवाल।

शासन उप तथि

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रेषित है :-

- 1। निजी तथिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
- 2। तथिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
- 3। विशिष्ठ लहायक, माननीय राज्यमंत्री, पशुपालन, मर्स्य सर्व डेपर्टी विकास विभाग ।
- 4। निजी तथिव, मुख्य तथिव, राजस्थान, जयपुर ।
- 5। मंत्रीमंडल तथिवालय/तामान्य प्रशासन विभाग, राज. जयपुर ।
- 6। तंबंध संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/लहायक निदेशक, पशुपालन विभाग, ।
- 7। तंबंधित उपरोक्त तंस्था - अद्यक्ष, जौ. डाक, डॉक्टर, लैरीटर, लैरीटरेटर बल हस्टिंग्स
2-A-6, सुरक्षा इन्फ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर कॉम्प्लेक्स, लैरीटर बल हस्टिंग्स, लैरीटर बल हस्टिंग्स (राज्य)
- 8। रक्षित पत्रावली ।

।तन्युकाश बतवाल।
शासन उप तथि

Speed Post



RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, BIKANER

No.F.(50)/RAJUVAS/Reg./Gen/2013/ 664

Date:- 23/9/13

Ph. 2543419 (O)
2549348 (Fax)
email-regrajuvas@gmail.com

The Principal
Sriganganagar Institute of Veterinary Science
Tantia Higher Education Institute Campus,
Near RIICO Bus Stand, Hanumangarh Road,
Sriganganagar-335002

Sub:- New Admission to A.H.D.P. for the Academic Session 2013-14.

Sir,

This is in reference to the letter of the Director, Tantia University, Sriganganagar dated 21st August, 2013 informing that the admission for the Academic Session 2013-14 shall be made by the Tantia University, Sriganganagar, as the Tantia University, Sriganganagar has been established by an Act passed by State Assembly.

It is, therefore, informed that admissions to Animal Husbandry Diploma Programme for the Academic Session 2013-14 should be done by the Tantia University itself, as the existing Diploma Institute has now become a constituent institute of the Tantia University, Sriganganagar as per the Provision of Section 3 (2) and Schedule II of the Ordinance. This is for your information and further necessary action please.

Yours faithfully

Rakesh Rao
(Rakesh Rao)
REGISTRAR

*Office
8.10.2013*
Mr. Sami
Put up.